International Journal of Multidisciplinary Research and Development

Volume: 2, Issue: 6, 423-425
June 2015
www.allsubjectjournal.com
e-ISSN: 2349-4182
p-ISSN: 2349-5979
Impact Factor: 3.762

निषि त्यागी
सहायक प्रवक्ता, षिक्षा विभाग
एस0 आर0 एम0 विष्व विद्यालय
मोदीनगर, गाजियाबाद उत्तर
प्रदेष, भारत पिन कोडः 2010100

Correspondence:
निषि त्यागी
सहायक प्रवक्ता, षिक्षा विभाग
एस0 आर0 एम0 विष्व विद्यालय
मोदीनगर, गाजियाबाद उत्तर
प्रदेष, भारत पिन कोडः 2010100

मनुस्मृति में शासन पद्वति और आज के संदर्भ

निषि त्यागी

सारांष :
मनुस्मृति' भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसकी गणना विष्व के ऐसे ग्रन्थों में की जाती है, जिनसे मानव ने वैयक्तिक आचरण और समाज रचना के लिये प्रेरणा प्राप्त की है। इसमें प्रष्न केवल धार्मिक आस्था या विष्वास का नहीं है मानव जीवन की आवष्यकताओं की पूर्ति, किसी भी प्रकार आपसी सहयोग तथा सुरुचिपूर्ण ढंग से हो सके, यह अपेक्षा और आकांक्षा प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति में होती है। हिन्दू समाज में तो इसका वेदत्रयी के उपरान्त है वस्तुतः मनुस्मृति मानव धर्म का पूर्ण समाजषास्त्र है। मनुस्मृति षासन व्यवस्था को चलाने वाले विभिन्न षासकों के लिये विभिन्न अर्हताओं का विधान करती है। उनमें षारीरिक–बौद्धिक अर्हताओं के साथ साथ नैतिक गुणों की अनिवार्यता पर भी विषेश बल दिया गया है।

कुजी शब्दः मनुस्मृति, संस्कृति, समाज, षासन व्यवस्था,

'मनुस्मृति' वह धर्मषास्त्र है जिसकी मान्यता जगविख्यात है। न केवल देष में अपितु विदेष में भी इसके प्रमाणों के आधार पर निर्णय होते रहे हैं। अतः धर्मषास्त्र के रूप में मनुस्मृति को विष्व की अमूल्य निधि माना जाता है। भारत में वेदों के उपरान्त सर्वाधिक मान्यता और प्रचलन मनुस्मृति का ही है इसमें चारों वर्णों सोलह संस्कारों, चारो आश्रमों, राज्य की व्यवस्था, राजा के कर्तव्य, भॉति भॉति के विवादों, सेना का प्रबन्ध आदि सभी विषयों पर परामर्ष दिया गया है।

मनुस्मृति में वर्णित षासन पद्धति राजतंत्रात्मक षासन पद्धति को प्रकट करती है, तथापि मनुस्मृति का राजा निरंकुष नहीं हो सकता क्योंकि मनुस्मृति में राजा को आत्मगत नियमों से तथा षासनगत नियमों में बांधा गया है। साथ ही साथ वह दैव्य दण्डव्यवस्था के अधीन भी है। यदि हम वेदों पर आधारित मूल मनुस्मृति का अवलोकन करें तो हम पायेंगे कि स्थिति बिल्कुल विपरीत है। मनु की दण्ड व्यवस्था अपराध का स्वरूप और प्रभाव अपराधी की षिक्षा पद और समाज में उसके रुतबे पर निर्भर है। ज्ञान सम्पन्न लोगों को मनु ब्राहमण का दर्जा देकर अधिक सम्मान देते हैं। जो विद्या ज्ञान और संस्कार से दूसरा जन्म प्राप्त कर द्विज बन चुके हैं वे अपने सदाचार से ही समाज में प्रतिश्ठा पाते हैं। अधिक सामर्थयवान व्यक्ति की जवाबदेही भी अधिक होती है अतः यदि वे अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभाते हैं तो वे अधिक कठोर दण्ड के भागी हैं।

मनुस्मृति षासन व्यवस्था को चलाने वाले विभिन्न षासकों के लिये विभिन्न अर्हताओं का विधान करती है। उनमें षारीरिक–बौद्धिक अर्हताओं के साथ साथ नैतिक गुणों की अनिवार्यता पर भी विषेश बल दिया गया है। परन्तु आज के समाज में अभी तक के प्रषासन दर्षन में दुर्भाग्यवष कोई भी विषेश ध्यान नहीं देता। विविध परीक्षाओं में अर्जित अंकों के आधार पर लोगों का चयन होता है और उनके हाथों में देष को चलाने का अधिकार दे दिया जाता है। उनमें विद्यमान नैतिक– अनैतिक गुणों की कोई परीक्षा नहीं करता। फलस्वरूप संसार में/समाज में एक गम्भीर समस्या जन्म ले लेती है। और चयनित इन अधिकारियों की मानसिकता तो विस्मित कर देने वाली है। वे 4 सरकारी पद को पाने के लिये हजारों–लाखों रुपयों का प्रषिक्षण लेते हैं, घूंस देते हैं तथा सफल होने के लिये विविध उपायों का सहारा लेते हैं फलस्वरूप वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर भी लेते हैं, परन्तु चिन्ता का विशय है कि क्या वे एक सुयोग्य षासक हो सकते हैं? मेरे विचार से तो यदि उनमें नैतिक गुण नहीं होंगे तो वे किस प्रकार से देष का सुचारु रूप से संचालन कर सकते हैं वे अधिकारी तो पद को पाने में किये गये खर्चों की पूर्ति करेंगे तथा अपनी जेब ही भरेंगे। वे भले ही षरीर बुद्धि से अपने कार्यों में विषेशज्ञ हो, षासक हो, परन्तु नैतिक गुणों के अभाव में तो उनकी स्थिति बिना चीनी के हलवे के समान ही होगी। वे आजीविका को तो प्राप्त करते हैं परन्तु स्वार्थ सिद्धि में ही प्रयत्न करते रहते हैं। क्या इस प्रकार की स्वार्थ सिद्धि एक सुयोग्य षासक को अलंकृत करती है?

इस पर विचार करके ही मनुस्मृतिकार षासक वर्ग को उपदेष देता है कि कार्यों में निश्ठा तथा पवित्रता ही व्यक्तित्व के अनिवार्य तत्व होते हैं। मनु देष के संचालकों, राजाओं, सचिवों, न्यायाधीषों तथा दूतों को व्यक्तिगत निश्ठा तथा स्वच्छ चरित्र को अपनाने का निर्देष देते हैं। इसके लिये वह सर्वप्रथम काम–क्रोध लोभ, मोह आदि को नियंत्रण में रखने का आदेष देते हैं।

"इन्द्रियाणां जये योगं समातिश्ठेछिवानिषम् ।
जितेन्द्रियो हि षक्नोति वषे स्थापयितुं प्रजा ।। 9/44

यदि मानव इन विकारों से ग्रसित नहीं है तो वह अधर्म के प्रति अग्रसर नहीं होगा। क्योंकि अधिकारी लोभ के कारण ही घूंस लेते हैं। कोई लाखों रुपये खाता है तो कोई करोड़ों। यदि राश्ट्र का यह धन लोकसेवा के लिये प्रयोग में लाया जाए, तो राश्ट्र की कितनी उन्नति होगी। भारतदेष में राषनविक्रता अधिकारी 100–200 रुपयों के लिये किसी का भी राषन कार्ड बना देता है तथा ऐसा करके आतंकवादियों को भी भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। 1992 में मुंबई में जो भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री आयी थी किसी उच्च अधिकारी की निगरानी में आई थी। उसके लोभ के कारण ही कई लोग काल का ग्रास हुए थे। अतः मनु ने नैतिक गुणों को प्रकट किया है जिससे कोई अव्यवस्था न फैल सके। मनु केवल आदर्षो को ही स्थापित नहीं करता वरन् समाज को व्यवहारिक दृष्टि से देख कर ही व्यवस्था करता है।

"राजो हि रक्षाधिकृताः परस्वादायिनः षठाः।
भृत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यों रक्षेदिमाः प्रजाः।। 8/123

मनु ने घूंसखोरों के प्रति कड़ा रुख अपनाया है। ऐसे अधर्मियों का समग्र धन को प्रतिबंधित करके, उसको देष निकाला देने का प्राविधान मनु ने अपनाया है। अतः भ्रष्टाचारी के ऊपर यदि कोई अभियोग (ब्मं) चल रहा है तो केवल उसके भ्रश्टाचार रूपी धन को ही आत्मसंरक्षित (ले) कर सकते हैं, अन्य नहीं। वर्तमान समय में हमारे संविधान भ्रश्टाचार विरोधी सप्तम अनुच्छेद में भ्रष्टाचारी के प्रति नरम रवैया अपनाया गया है। कम से कम 6 माह तथा अधिक से अधिक पॉच वर्षो की सजा का प्रावधान है। यदि कोई घूंस लेता है तो उसको दो से सात सालों की सजा होती है। ऐसे में तो दण्डित व्यक्ति सजा काटने के बाद भी उक्त धन का उपभोग कर सकते हैं। पुनः उनका परिवार भी उस धन का उपभोग कर सकता है। ऐसी अव्यवस्था को मन में विचार आता है कि..

"उत्कोचं हि गृह्नन्ति भारते हि में नराः ।
उत्कोचप्रदानेन मोक्षं प्राप्स्यन्ति ते सदा ।।

इस षिथिल व्यवस्था को मनुस्मृति के नियमों से ही नियंत्रित किया जा सकता है। उड़ीसा और बिहार की सरकारें इस विशय में कार्यरत हैं। दोनों ही जगह घूंसखोरों का समग्र धन राज्य के अधीन कर लिया जाता है तथा आगे की कार्यवाही होती रहती है।

"ये कार्मिकेभ्योंअर्थमेव गृह्वीयुः पापचेतसः ।
तेशां सर्वस्वमादाय राजा कुर्यात्प्रवासनम् ।। 8/124

अतः निष्चित रूप से कहा जा सकता है कि मनुस्मृति की दण्ड व्यवस्था भ्रश्टाचार को नियंत्रित करने में समर्थ है। धर्मषास्त्रों में भी भ्रश्टाचार पर गहनता से विचार किया गया है। परन्तु प्राचीन काल से चले आ रहे इस कटु रोग का आज भी भारतीय समाज से उच्छेदन नहीं हो पाया है।

7.17–20 वस्तुतः एक षक्तिषाली और उचित दण्ड ही षासक दण्ड न्याय का प्रचारक है। दण्ड अनुषासनकर्ता है। दण्ड प्रषासक है । दण्ड ही चार वर्णो और जीवन के चार आश्रमों का रक्षक है।

दण्ड ही सबका रक्षक है वह राश्ट्र को जागृत रखता है – इसलिये विद्वान उसी को धर्म कहते हैं।

यदि भली–भॉति विचारपूर्वक दण्ड का प्रयोग किया जाय तो वह समृद्धि और प्रसन्नता लाता है परन्तु बिना सोचे समझे प्रयोग करने पर दण्ड उन्हीं का विनाष कर देता है जो इसका दुरुपयोग करते हैं।

इसलिये जब समय आ गया है कि भ्रश्ट नेता और अधिकारियों का विनाष हो क्योंकि वे इस दण्ड का बहुत दुरुपयोग कर चुके हैं आइए समाज राश्ट्र और मानवता की रक्षा के लिये किसी भी रूप में जन्मगत भेदभाव का समर्थन करने वालों को हम दण्ड से ही सीधा करें।

8.335 – जो भी अपराध करे वह अवष्य दण्डनीय है चाहे वह पिता माता, गुरू, मित्र, पत्नी पुत्र या पुरोहित ही क्यों न हो।

8.336 – जिस अपराध में सामान्य जन को एक पैसा दण्ड दिया जाय वहॉ षासक वर्ग को एक हजार गुना दण्ड देना चाहिए। दूसरे षब्दों में जो कानूनविद् हैं, प्रषासनिक अधिकारी है या न्यायपालिका में हैं वे अपराध करने पर सामान्य नागरिक से 1000 गुना अधिक दण्ड के भागी हैं।

क्योंकि जब तक सरकारी पदाधिकारियों को साधारण नागरिकों की तुलना में कठोर दण्ड का विधान नहीं होगा तब तक षासन प्रजा का हनन ही करता रहेगा। जैसे एक सिंह को वष में रखने के लिये बकरी की अपेक्षा अधिक कठोर नियंत्रण चाहिए उसी प्रकार प्रजा की सुरक्षा को निष्चित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों पर अत्यन्त कठोर दण्ड आवष्यक है। आज के सन्दर्भ में देखा जाय तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीष, राश्ट्रीय दलों के नेता यदि दुराचरण करते हें तो कठोरतम दण्ड के भागी हैं। इसके बाद मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, राज्याधिकारियों और न्यायाधीषों की बारी है। जितने भी प्रषासनिक अधिकारी, नौकर षाह है यहॉ तक कि एक सरकारी विभाग के पचरासी तक को भी सामान्य नागरिक की तुलना में अधिक कठोर दण्ड मिलना चाहिए।

सामान्य नागरिकों में से भी षिक्षित तथा प्रभावषाली वर्ग यदि अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ता है तो कठोर दण्ड के लायक है। जिस तरह समाज में सबसे श्रेश्ठ को सबसे अधिक महत्व प्राप्त है इसलिये उनके आदर्षच्युत होने से सारा समाज प्रभावित होता है अतः मनु के अनुसार अपराधी के पद की गरिमा के साथ ही उसका दण्ड भी बढ़ता जाना चाहिए।

इस परिपार्टी या सिद्धान्त से भटकना, भ्रश्टाचार की सारी समस्याओं का मूल कारण है जब तक इस में सुधार नहीं होगा तब तक राश्ट्री में परिवर्तन लाने के लिये किये गये सारे प्रयास व्यर्थ ही जायेंगे। न्यायाधीष और सांसदों को विधि–विधान से परे और अपदस्थ होने से बचाने की बात मनु के मत में घोर विरोध रखती है।

विभिन्न प्राचीन समाजषास्त्रियों ने राजाओं, धर्मषास्त्रियों ने इस विशय पर नियम तथा दण्ड की व्यवस्था की है। महाराज मनु ने भी इस विशय पर अपने विचार प्रस्तुत किये हैं, परन्तु भ्रश्टाचार को नाम मात्र में ही दर्षाया गया है। हम लोग सामाजिक तथा पारिवारिक नये सम्बन्धों का निर्माण करते हुये अन्य व्यक्तियों के आचरण विचार तथा व्यवहार के तौर तरीकों पर विचार नहीं करते अब तो ये देखने को मिलता है कि लोग गुंडागर्दी तथा बेईमानी करने के लिये बदनाम लोगों को अपने साथ रखना चाहते हैं। अधिकतर हमारे देष में लोग यह सवाल करते रहते हैं कि देष में भ्रश्टाचार कम क्यों नहीं हो रहा है ? उत्तर में सरकार को दोशी ठहराया जाता है। सच तो यह है कि हमारे समाज में चेतना की कमी तथा वैचारिक आलस्य के परिणाम से ही देष में अपराध और भ्रश्टाचार बढ़ा है। इसके लिये हम सभी लोग जिम्मेदार हैं कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं है।

जब हम देष में नैतिक आचरण में आई गिरावट तथा संवेदनहीनता की बात करते हैं तो समाज या सरकार को कोसना सबसे आसान लगता है अगर हम अपने आचरण का अवलोकन करें तो कहीं न कहीं ये साफ दिखाई देगा कि हमारी स्वार्थ पूर्ण जीवन षैली तथा समाज के दायित्वहीनता ही इसके लिये जिम्मेदार है। ऐसे में देष में व्याप्त व्यवस्था में परिवर्तन की अपेक्षा तभी सम्भव है जब हम अपने विचारों में परिवर्तन करें।

सन्दर्भ

1. ***मनुस्मृति*** 9/44
2. ***वही*** 8/123

3. **वही** 8 / 124
4. **वही** 8 17 दृ 20
5. **वही ८.३३५**
6. **वही ८.३३६**